न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, रिछपालसिंह बुरड़क R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1154/2017

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थी :–

1. पूनाराम
2. पेमाराम
3. पुरखाराम
4. डांवरराम
5. कानाराम पिसरान

मूलाराम जातियान जाट
निवासीगण महादेव नगर
बोरून्दा, तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर

तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री मंसूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 12.10.2017

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः– ग्राम महादेव नगर पटवार क्षैत्र बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में ख.न. 1050, ख.न. 1050/1, ख.न. 1050/2, ख.न. 1050/3, ख.न. 1050/4 प्रार्थीगण के नाम से आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में क्रमशः खाता संख्या नया 85, 93, 88, 53 व 27 पर इन्द्राज है जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की सलंग्न पेश है। ख.न. 1050 मूल खातेदार मूलाराम के नाम से था जो वर्तमान में अलग–अलग बट्टा नम्बर के रूप में ख.न. 1050 से 1050/4 में विभक्त होकर प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है व प्रार्थीगण अपने अपने खसरे में अपने अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है लेकिन मूल खसरा संख्या 1050 जो कि 24 बीघा 12 बिस्वा का था जिसका सीमांकन नही होने से प्रार्थीगण अपने अपने खसरे में काश्त कार्य करने में परेशान हो रहे है तथा निर्माण कार्य नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण

अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 1050 से 1050/4 में चारों और चारदीवारी व तारबंदी करना चाहते है तथा

भविष्य में उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवा कर अपने उपयोग में लेना चाहते है लेकिन सीमाज्ञान नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की चार दीवारी नही कर पा रहे है। अतः श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि पार्थीगण की ग्राम महोदव नगर पटवार क्षैत्र बोरून्दा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1050, ख.न. 1050/1, ख.न. 1050/2, ख.न. 1050/3, ख.न. 1050/4 की पत्थरगढी व सीमांकन कायम करने का अप्रार्थी को आदेश फरमाया जावे।

हमने प्राथीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो कोई आपति नही है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराया एवं वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम महोदव नगर पटवार क्षैत्र बोरून्दा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1050, ख.न. 1050/1, ख.न. 1050/2, ख.न. 1050/3, ख.न. 1050/4 की पत्थरगढी व सीमांकन कायम करने का अप्रार्थी को आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण पक्ष में प्रतित होता है क्योकि प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम महोदव नगर पटवार क्षैत्र बोरून्दा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1050, ख.न. 1050/1, ख.न. 1050/2, ख.न. 1050/3, ख.न. 1050/4 भूमि का नाप चौप

किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर

को आदेश दिया जाता है कि ग्राम महोदव नगर पटवार क्षैत्र बोरून्दा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1050, ख.न. 1050/1, ख.न. 1050/2, ख.न. 1050/3, ख.न. 1050/4 भूमि का टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर